संख्या: 11/2016/1180/12-2-2016-बजट.1/2009

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 05 मई, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 15/कृवर0/छ-1/की0रो0नि0यो0/2016-17 दिनांक 07 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म आयोजनागत-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 200000 हजार (रूपये बीस करोड मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रूपये 100000 हजार (रूपये दस करोड मात्र) की धनराशि नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. धनराशियों का निस्तारण जहाँ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय अधिकारियों की मांग के अनुसार उन्हे अपेक्षित धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण वियमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवयकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

7. कृषि रक्षा यंत्रों पर देय अनुदान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 820/12-2-2015-61/2012 दिनांक 31 मार्च, 2015 एवं शासनादेश संख्या: 3544/12-2-2012 दिनांक 05 नवम्बर, 2012 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जायेगा।

8. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म आयोजनागत-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अत: इसमें निहित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

संख्या: 11 /2016/1180 (1)/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ/संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक, (कृषि रक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 11/2016/ 1180/12-2-2016-बजट.1/2009 दिनांक 05 मई, 2016 का संलग्नक

क्र0सं0	विषय	विवरण
1	योजना का नाम	2401-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना
2	वित्त पोषण	उत्तर प्रदेश
3	योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो का विवरण संक्षेप में	बायोपेस्टीसाइड/बायो एजेन्ट का उत्पादन, लघु एवं सीमान्त कृषकों को बायोपेस्टीसाइड के वितरण पर 75 प्रतिशत अनुदान, बीज शोधन हेतु बीज शोधक रसायनों पर 75 प्रतिशत अनुदान, लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षायंत्रों पर 50 प्रतिशत का अनुदान, लघु एवं सीमान्त कृषकों को अन्न सुरक्षा हेतु बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान एवं कृषकों एवं तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं कीट रोग के प्रकोप को सर्वेलन्स द्वारा प्रबंधन एवं रसायनों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का प्रस्ताव है।
4	नियोजन विभाग/व्यय वित्त समिति/भारत सरकार/आर0 के0वी0वाई में एस0एल0एस0 सी0/ मा0 मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदित कार्य योजना, परियोजना अवधि, लागत तथा बैठक एवं पत्र जिसके द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।	शासन के पत्र संख्या: 2425/ 12-2-2012-बजट.1/2009 दिनांक 31 अगस्त, 2012 द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012-17) की अवधि के लिए विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।
5	परिव्यय	200000 हजार
6	केन्द्र पोषित योजना की स्थिति में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु पुर्नवैद्य/अवमुक्त केन्द्रांश भारत सरकार के पत्र की प्रति सहित।	शून्य
7	केन्द्रांश के सापेक्ष जारी की जा सकने योग्य धनराशि	शून्य
8	योजना में वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्राविधान	200000 हजार
9	पूर्व में जारी वित्तीय स्वीकृतियाँ तथा व्यय की धनराशि	शून्य
10	चालू योजना की स्थिति में गत वर्ष जारी धनराशि तथा व्यय का विवरण	जारी धनराशि: 309510 हजार वास्तविक व्यय: 246845 हजार
11	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति का मदवार विवरण	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-107-वनस्पति संरंक्षण-04-

http://shasanadesh.up.nic.in

		विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना
	मानक मद	मांगी जा रही वांछित धनराशि हजार रूपये में
	02-मजदूरी	2000
	04-यात्रा व्यय	750
	08-कार्यालय व्यय	600
	09-विद्युत देय	1000
	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	500
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500
	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1500
	27-सब्सिडी	76400
	29-अनुरक्षण	1250
	42-अन्य व्यय	2500
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	10000
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2000
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का क्रय	500
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	500
	योग:	100000

(रूपये दस करोड मात्र)

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।